बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषयः- राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को छुट्टी नगदीकरण का स्लैब निर्धारित करने एवं उसके अर्जित अवकाश से घटाव के संबंध में ।

प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) की अनुशंसा तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं0-6234 दिनांक- 30.6.06 द्वारा राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न सुविधाओं/भत्तों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । उक्त संकल्प की कंडिका 3 (viii) में छुट्टी भत्ता एवं छुट्टी नगदीकरण दो वर्षो में एक बार अधिकतम एक माह की छुट्टी का नगदीकरण का उल्लेख है। संकल्प की कंडिका 5 में यह उल्लेख किया गया है कि जिन सुविधाओं/भत्तों की निकासी के संबंध में कोई शीर्ष/प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गयी है, उनके बारे में वित्त विभाग के परामर्श से अलग से आदेश निर्गत किया जायगा ।

2. विभागीय संकल्प सं0-6234 दिनांक 30.6.06 द्वारा राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को दी गयी विभिन्न भत्ता एवं सुविधाएं दिनांक 1.11.99 के प्रभाव से संकल्प सं0-12844 दिनांक 18.12.06 द्वारा लागू किया गया है । महालेखाकार बिहार ने अपने पत्रांक जी.ई.सं0 33 दिनांक 9.4.07 द्वारा राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को दी जा रही सुविधा/भत्ता के संबंध में यह पृच्छा की गयी थी कि छुट्टी नगदीकरण का दो वर्षो का स्लैव (कब से कब तक) क्या होगा एवं छुट्टी नगदीकरण अधिसीमित 300 दिनों का ही हिस्सा होगा अथवा नहीं ।

3. वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत उपरोक्त विन्दुओं पर निम्नलिखित निर्णय लिया है:-

(i) दो वर्षो में एक बार अधिकतम एक माह की छुट्टी का नगदीकरण होगा, जिसके लिए वित्तीय वर्ष के बदले कैलेंडर वर्ष को आधार मानते हुए स्लैब का निर्धारण निम्न प्रकार से होगा:-

(क) प्रथम स्लैब:- कैलेंडर वर्ष 2000 तथा कैलेंडर वर्ष 2001

(ख) दूसरा स्लैब- कैलेंडर वर्ष 2002 तथा कैलेंडर वर्ष 2003, इत्यादि ।

(ii) सेवा निवृत्ति के पहले जो अवकाश नगदीकृत किया गया, उस नगदीकरण के बाद अर्जित किये गये अवकाश (जिसका उपभोग नहीं किया गया हो) को जोड़ते हुए अधिकतम 300 दिनों के लिए अवकाश नगदीकरण सेवा निवृत्ति के समय अनुमान्य होगा । उदाहरणस्वरूप यदि सेवाकाल में ही 100 दिनों का अवकाश का नगदीकरण किया गया है तो बाद में अर्जित किये गये अवकाश को जोड़कर अधिकतम 300 दिनों तक का अवकाश का नगदीकरण सेवानिवृत के समय होगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय और उसकी प्रतियां सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/महानिबंधक, उच्च न्यायालय पटना/महालेखाकार बिहार, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलापदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकरी/वित्त (वैयक्ति दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-7/एम-1-402/2000 खंड(ii)का0- 9560 दिनांक- 20.9.07

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. उनसे अनुरोध है कि इस राजपत्र की 200 (दो सौ) प्रतियां इस विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय ।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-7/एम-1-402/2000 खंड(ii)का0- 9560 दिनांक- 20.9.07

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय पटना/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/वित्त (वैयक्ति दावा निर्धारण कोषांग) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

20.9.07

सरकार के उप सचिव

Sankalp